



2026:AHC:64631

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 4357 वर्ष 2026

सुदामा गर्ग एवं एक अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार पाण्डेय, संतोष कुमार तिवारी

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफ.टी.सी., चित्रकूट के न्यायालय में लंबित परिवाद संख्या 2067/9 वर्ष 2025, मेसर्स नीलकंठ ट्रेडिंग कंपनी बनाम अनिल कुमार सिगला एवं अन्य, अंतर्गत धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, थाना कर्वी, जिला चित्रकूट की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ परिवाद संख्या 2067/9 वर्ष 2025, मेसर्स नीलकंठ ट्रेडिंग कंपनी बनाम अनिल कुमार सिगला एवं अन्य, अंतर्गत धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, थाना कर्वी, जिला चित्रकूट में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफ.टी.सी., चित्रकूट द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 02.01.2026 को भी रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के बीच धन का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदकों के विरुद्ध नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आगे यह दलील दी है कि चूंकि यह मामला मुख्य रूप से धन के भुगतान के विवाद से संबंधित है, इसलिए सुलह/समझौते के माध्यम से इस विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रबल संभावना है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय **दामोदर एस. प्रभु बनाम सैय्यद बाबालाल एच. (2010 (5) एससीसी 663** पर भरोसा जताया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत हैं:

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, 'सम थॉट्स टुवर्ड्स लॉ रिफॉर्म्स ऑन द टॉपिक ऑफ सेक्शन 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट-टैकलिंग एन एवेलॉच ऑफ केसेस' (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर]:

"...अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ दी जाने वाली सज़ा (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का एक माध्यम अधिक है। शिकायतकर्ता की रुचि मुख्य रूप से चेक जारी करने वाले को जेल भेजने के बजाय अपना पैसा वसूलने में होती है। जेल का डर केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के विरुद्ध जो जेल की सज़ा काटने को तैयार है, चेक धारक के पास उपचार के रूप में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।

यदि हम एक तरफ उन शिकायतों की संख्या की जाँच करें जो अंतिम निर्णय से पहले 'सुलह' या 'समझौते' के माध्यम से समाप्त हो गईं, और दूसरी तरफ उन मामलों को देखें जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुँचे, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा समझौते के माध्यम से सुलझा लिया गया और केवल बहुत कम संख्या में ही मामले जारी रहे।"

18. यह स्पष्ट है कि चेक अनादरण के अपराध के संबंध में, उपचार के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा जताई गई आशंकाओं का भी समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामले वास्तव में 'कंपाउंडिंग' (शमन/समझौते) के माध्यम से सुलझाए जा रहे हैं, हालांकि यह मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में होता है, जिससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जिसमें वे अपने विवाद को हल करने के लिए देर से समझौते का विकल्प चुनते हैं।

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान महान्यायवादी का तर्क यह है कि वैधानिक दिशा-निर्देशों के अभाव में, पक्षकार मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायतों पर संज्ञान लेते ही समझौते का विकल्प चुनने के बजाय, इसे अंतिम उपाय के रूप में चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का



जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं और समझौते का रास्ता तभी चुनते हैं जब कोई अन्य रास्ता शेष नहीं रह जाता। हालांकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से ऐसा व्यवहार तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन कड़वा तथ्य यह है कि समझौते का विकल्प चुनने में होने वाली अनावश्यक देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों में लंबित मामलों में वृद्धि करती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से समझौता करने को तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ सत्यता का संकेत देता है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान ही समझौते का विकल्प चुनें। हालांकि, यदि अभियुक्त के पास कोई वैध बचाव है जैसे कि गलती, धोखाधड़ी या ज़बरदस्ती, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।"

5. जैसा कि अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा चेक की राशि का 10% जमा कर सकते हैं। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है और अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने के लिए और अवसर प्रदान करेगा, जो आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। तत्पश्चात, न्यायालय आज से पांच महीने की अवधि के भीतर, विशेष रूप से दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होकर विचारण का सामना करना होगा और न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार आगे बढ़ने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपर्युक्त पाँच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में निर्णय होने तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक/उत्पीडक उपाय नहीं अपनाए जाएंगे।

8. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उसी अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से इस न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन दिया गया है।



9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

28 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

Translated Version. Not For Legal Use.